

पराधीनता स्वीकार नहीं!



सुनीता कुमारी*

पराधीन स्थिति किसी भी प्राणी के लिए असहनीय और अस्वीकार्य है। अगर बात मनुष्य जीवन की हो तो यह और भी कष्टकर हो जाता है। मानव स्वभाव से ही स्वतंत्र रहा है। मानव जीवन के प्रारंभ से अंत तक अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहा है। मानवीय सभ्यता के आदिकाल में मानव अपने जिजीविषा के लिए संघर्ष कर रहा था। तब पराधीनता जैसी कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। परंतु जैसे-जैसे विकासक्रम की प्रक्रिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक ताना-बाना जटिल होता गया वैसे-वैसे समाज में शोषण और पराधीन करने की प्रवृत्ति स्थापित होती चली गई। वही क्रमशः विकास की प्रक्रिया में हमारी परंपरा बनकर समाज में स्थापित हो गई। संसाधन, जमीन, धन, संपदा पर एक विशेष वर्ग द्वारा अधिकार और अन्य को वंचित करने तथा अधीनस्थ बनाने की प्रवृत्ति का संस्थाकरण होता चला गया। शक्ति के असंतुलन से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई।

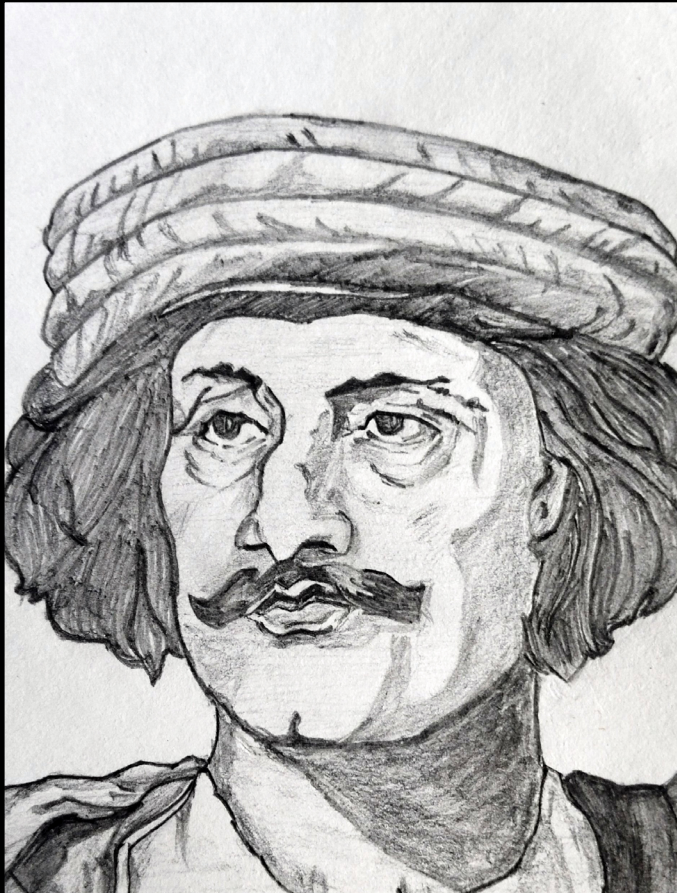
अगर इसे महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आदिम समाज में महिला और पुरुष की स्थिति कमोबेश समान ही थी। पर बदलते समय में महिलाएं हाथिये पर चली गईं और घर की चार दिवारी में कैद कर दी गईं। जैसे-जैसे उनका दायरा सिमटता गया वैसे-वैसे वे संसाधनों से वंचित कर दी गईं। अब सारी घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल दी गई, और वहीं पुरुषों का कार्य क्षेत्र घर के बाहर बन गया। बस पैसा कमाना ही उनका कार्य था।

महिलाओं को घरेलू कार्यों के लिए कोई श्रुतान नहीं किया जाता था। अब उनके हाथों से आर्थिक स्वतंत्रता जाती रही। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी स्वतंत्रता बेमानी होती है। उनकी स्थिति पराधीन हो गई। अब न उन्हें शिक्षा का अधिकार था और न ही काम करने के अवसर।

आधुनिक युग की अनेक उपलब्धियों में एक महान उपलब्धि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाना है। महिलाओं की दुर्दशा तथा दयनीय स्थिति में सुधार करने का श्रेय 19वीं और 20वीं सदी के महान समाज सुधारकों को है।

ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले ने बालिकाओं के शिक्षा के लिए स्कूल खोले। सामाजिक सुधारों के क्रम में आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज इत्यादि सुधारवादी संगठनों ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। जिसमें स्त्री शिक्षा, बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि के लिए कानून बने। राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा जैसी कुख्यात प्रथा का उन्मूलन ब्रिटिश सरकार के सहयोग से किया गया तथा अन्य कई कुप्रथाओं को भी समाप्त करने में समाजसेवियों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग किया।

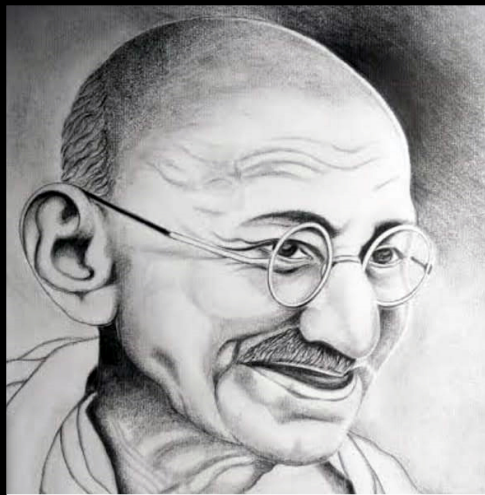
* सहायक प्रोफेसर
एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी., दिल्ली विश्वविद्यालय।



રાજા રામભોજરાય
દેશાચિત્ર : રીનાલી વરુમારી



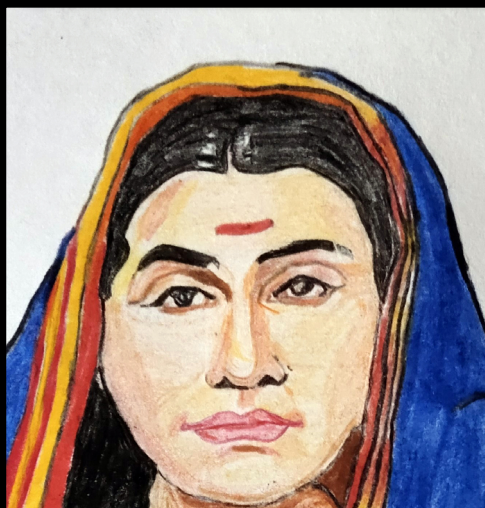
ડૉ. ધર્મારાવ દમ્ભેજીવર
ચિત્રવારી : માન્યા



મહાત્મા ગાંધી
દેશાચિત્ર : વિશ્વજીત યાદવ



બયોલિંગા પુલે
દેશાચિત્ર : રીનાલી વરુમારી



સાવિત્રી બાઈ પુલે
ચિત્રવારી : રીનાલી વરુમારી

देश की आजादी की लड़ाई में स्त्रियों के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ा गया तथा राष्ट्रीय पटल पर उनकी समस्याओं पर बातें शुरू हुईं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर राष्ट्रीय पटल पर रखकर उन मुद्दों को वैधता दिलवाई। स्वतंत्रता के बाद बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने महिलाओं को कई कानूनी अधिकार दिलवाने की पहल की। महिलाओं के शोषण का सबसे मूल कारण हमारे समाज में पितृसत्ता का मौजूद होना है।

विकासक्रम की अनगिनत परतों से गुजरते हुए हम अपने वजूद को समेट पाए हैं। हमें इसे गवाना नहीं चाहिए। प्रत्येक इंसान का यह पहला कर्तव्य है कि वह अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को एक पहचान दें, वजह दें। अपनी पहचान और वजूद को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वावलंबन खासकर आर्थिक स्वावलंबन सबसे ज्यादा जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना सभी प्रकार के अधिकार और आजादी बेमानी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि “किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति से ही उस समाज की असली स्थिति का और विकास का पता चलता है।” आर्थिक स्वावलंबन के बिना किसी प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना करना बेमानी है।

पराधीनता की बेड़ियाँ हजारों मुश्किलों की जड़ हैं। यह बात स्त्रियों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि किसी भी पराधीन व्यक्ति या वर्ग या लोभ के विषय में सत्य है। पराधीनता किसी के लिए भी, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अपने वजूद को बचाए रखने के लिए एक व्यक्ति को, खास कर लड़कियों को अपने आर्थिक स्वावलंबन पर शुरुआती समय से ही ध्यान देना चाहिए। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी तो उनकी निर्णय लेने की शक्ति भी सीमित रह जाएगी।

भारतीय पारंपरिक समाज में महिलाओं के ऊपर घर और परिवार की जिम्मेदारी होती है। पितृसत्ता, धार्मिक परंपरावादी सामाजिक परिवेश में लड़कियों को घर की चारदीवारी में ही रहने को विवश करती है, या फिर बाहर जाकर काम करने के अवसर कम ही मिलते हैं। इस वजह से वे अपनी इच्छाओं, सपनों को दबाकर, महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर जीने को विवश हो जाती हैं। समाज के इस पुरातन सोच के कारण स्त्रियों को उनके विकास के माकूल अवसर नहीं मिल पाते। इस स्थिति में घर की परिधि से बाहर निकल कर काम करना अपने आप में एक चुनौती है, फिर भी कुछ महिलाएं इस स्थिति से बाहर निकलने का साहस कर सकी, अपने जीवन को अपने अनुकूल कर सकी और वे दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनीं।

संघर्षशील महिलाओं का जीवन मुश्किलों और तकलीफों से भरा रहता है। फिर भी वे पराधीनता की जगह संघर्ष का रास्ता चुनती हैं। हो सकता है पराधीनता में सुख हो पर आत्मसम्मान तो कतई नहीं मिलता। आत्मसम्मान के साथ जीना है तो अपने वजूद की तलाश करो, संघर्षशील बनो।

संघर्षशील महिलाएं खुद को इस पराधीनता से निकालने के लिए संघर्ष करती हैं। उनके रास्ते संघर्ष और चुनौतियों से भरे रहते हैं। फिर भी वे समझती हैं कि आर्थिक स्वावलंबन के बिना अपनी इच्छाओं और सपनों को वे अपने अनुसार आकार नहीं दे पाएंगी। अतः वह अधीनता की जगह संघर्ष का रास्ता चुनती हैं। अपने वजूद की तलाश करती हैं। वे एक सशक्त नागरिक, एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में समाज में अपनी पहचान बनती हैं।

आर्थिक स्वावलंबन आत्मविश्वास पूर्ण जीवन जीने की पहली शर्त है। आत्मनिर्भरता केवल वित्तीय स्वतंत्रता की बात नहीं करती है, बल्कि ये महिलाओं की सामाजिक स्वीकार्यता की ओर बढ़ते हुए एक कदम है। उनके अस्तित्व, समाज में उनके योगदान की स्वीकृति और उनके आत्मसम्मान का एक प्रतीक भी है। इसके बिना वे अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, जरूरतों, सपनों को अपने मुताबिक आकर नहीं दे सकती। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता जीवन के संपूर्ण स्वरूप को बदल देती है। व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार अपनी शर्तों पर जी सकता है। आत्मनिर्भर स्त्रियों के पास न केवल अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता

होती है बल्कि वह घर परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम होती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं। अपने परिवार को भी आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने में सहयोग करती हैं।

इस दौर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज की महिलाएं अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपना रास्ता खुद बना रही हैं। इसमें उन्हें घर परिवार का सहयोग भी मिल रहा है। यहां तक की ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं भी अपने वजूद की तलाश कर रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। वे पढ़ाई के साथ-साथ सिलाई-कटाई, बुनाई, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर जैसे छोटे-छोटे व्यवसायों से लेकर तमाम कंपनियों में विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं। जो महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं वे भी घरों में हेल्पर इत्यादि का काम करती हैं ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें और अपने जीवन को बेहतर कर सकें।

फिर भी अभी महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को लेकर स्थिति उतनी उत्साहजनक नहीं है। उन्हें और जागरूक और प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह जिम्मेदारी केवल महिलाओं की ही नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग की है। शिक्षा और कौशल का विकास कर काम के समान अवसर सुनिश्चित करके हम महिलाओं को सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं। आधी आबादी का सक्षम होना सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं वरन पूरे समाज और देश के विकास के लिए भी जरूरी है। एक सशक्त महिला परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जब स्त्रियां अपने अधिकारों को समझेंगी और उन्हें अपने जिंदगी की दिशा निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिलेगी तब वह न केवल अपनी बल्कि अपने समाज और राष्ट्र की तकदीर बदलने में भी सक्षम होंगी। यह एक लंबे संघर्ष के बाद ही संभव हो पाएगा। महिलाओं की जिजीविषा और संघर्ष को सम्मान देना, उन्हें उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों को मान्यता देना हमारे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए।



मोती और मटमैला पानी

समुद्र सबके लिए एक समान है, कोई इसमें मोती खोजता है, कोई पत्थर और कोई इसके मटमैले पानी से अपने पैरों को कीचड़ से भर लेता है।

इसी प्रकार जीवन भी सबके लिए समान है, कुछ परिश्रम कर ज्ञान और संतुलित जीवन के मोती पाते हैं, कुछ धन के पीछे भागते हैं और कुछ बुरे कर्मों व अपराध के गंदे पानी में कूदकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं।

हम जो करते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम किसका चयन करते हैं।

मेजर गुरदीप सिंह सामरा